कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 541 / 13–ओ०एफ०सी० दिनांक 13/ 9 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :– **जनपद नैनीताल के अंतर्गत खैरना पुल–काकड़ीघाट–सुयालबाड़ी तक मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 0.36 है0 वन भूमि का विंध्या टेलीकॉम लिमिटेड को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 1372/FP/UK/OFC/140824/2021 दिनांक 03.12. 2021।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव पर आपत्तियां लगायी गयी थी, जिनका प्रतिउत्तर प्रस्तावक द्वारा अपने पत्रांक VTL/F/UK/OFC/140824/2021/2 दिनांक 06.07.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किये जाने वाले अधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अपेक्षित है।	वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सक्षम स्तर से अधिकृत किए जाने वाले अधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित मोटर मार्ग के किनारे–किनारे OFC केबिल बिछाने के पैरा 4.1 एवं पैरा 4.2 के अनुसार अपेक्षित Row की सूचना प्रस्ताव के संलग्न की ज़ानी अपेक्षित है।	प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण 1980 से पूर्व किया गया है। उक्त मार्ग के अभिलेख लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं।
3	OFC केबिल बिछाने हेतु मोटर मार्ग के पूर्व में स्वीकृत पत्रों की प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15 तक) परियोजना क्षेत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न क्षेत्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या में (पृष्ठ संख्या 12 से 15तक) परियोजना क्षेत्रों के नामों को अंकित कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या सभी प्रपत्रो के ऊपर नीचे दोनों स्थान पर अंकित की गई है, जिससे प्रमाण पत्रों के अवलोकन करने से पृष्ठ में संख्या की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अंकित की जाए।	प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या एक ही स्थान पर अंकित कर दी गयी है।

...ल, उत्तराखंड।

6	राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से संबंधित प्रमाण पत्र में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।	राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण से संबंधित प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
7	राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी से संबंधित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी अंकित नहीं की गई है।	राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण से हवाई दूरी से संबंधित प्रमाण पत्र में हवाई दूरी को अंकित करके प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव के संलग्न वनाधिकार अधिनियम 1980 के संबंधित ग्राम प्रधान पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में संबंधित ग्राम पंचायत का नाम अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकारी अधिनियम 1980 से संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण में संबंधित ग्राम पंचायत का नाम अंकित कर दिया गया है।
9	स्थल विशिष्ट होने या ना होने का प्रमाण में प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव में स्थलीय विशिष्ट होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक 751/ उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कॉलौनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि मै0 विन्धिया टेलीलिंक्स लि0, एम–28, शहस्त्रधारा रोड, कवलविहार, देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल